उत्तराखण्ड शासन

संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 25 / सं0नि0उ0 / छः–41 / 2024–25 दिनांक 19 जून, 2024

ई–निविदा सूचना

संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड के अधीनस्थ हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, नींबूवाला, गढीकैन्ट, देहरादून परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी के चयन हेतु राज्य में पंजीकृत इच्छुक, अनुभवी, प्रतिष्ठित एवं जी0एस0टी0 में पंजीकृत फर्मों से ई–निविदाएं जैम पोर्टल की वेबसाईड https://gem.gov.in पर आमंत्रित की जाती है। विवरण निम्नवत है–

S.No.	Particular	Date
1.	Date of availability of Tender Documents on website for download	20 June, 2024
2.	Bid submission start date	20 June, 2024 06:00 PM
3.	Tender document is also available at	https://uktenders.gov.in June, 2024
4.	Last Date of Bid submission	03 July, 2024 05:00 PM
5.	Date of Opening of Technical Bid and Presentation	04 July, 2024 12:00 PM
6.	Date of Opening of Financial Bid will be intimated separately	-
7.	Venue for all tender related work	Directorate of Culture, M.D.D.A. Colony Chander Road, Dalanwala, Dehradun
8.	Tender Document Cost	Rs. 2000/- + GST 18%= 360/-

Note :- If any date mentioned above is declared as Holiday, that date will be shifted to next working day without any change in other parameters such as venue, etc.

निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

07/06/2024
वित्त अधिकारी
संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड

निदेशक
संस्कृति निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड

एम0डी0डी0ए0 कालोनी, चन्दर रोड़, डालनवाला, देहरादून।

संख्या 25 /छः–41/सं0नि0उ0/2024–25

दिनांक 19 जून, 2024

अन्तिम तिथि 03–07–2024 सांयः 05:00 बजे

निविदा खोलने की तिथि 04–07–2024 अपरान्ह 12:00 बजे

क्र0	जानकारी मे	विवरण
1	कार्य का नाम	हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, नींबूवाला, गढीकैन्ट, देहरादून परिसर हेतु सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी का चयन।
2	ईएमडी	₹ 87,000/– (₹ सत्तासी हजार मात्र)
3	बोली की अवधि	01 वर्ष
4	निष्पादन बैंक गारंटी	अनुबंध मूल्य का 5% ₹ 1,45,000.00 (एक लाख पैंतालीस हजार मात्र)
5	संपर्क विवरण	श्री विजय सिंह भण्डारी, वरिष्ठ सहायक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून मो0–9897929159

1. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा संलग्न है।
2. हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, गढ़ीकैन्ट, देहरादून परिसर हेतु सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी का चयन। निविदा की कार्यावधि एक वर्ष होगी।
3. नियम व शर्तें निविदा के साथ संलग्न हैं।

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून
सील

हस्ताक्षर

टेण्डरदाता/निविदा कर्ता

फर्म का नाम ....

पता एवं सील......................................

Chauhan
07/06/2024
वित्त अधिकारी
संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड

क्र0	निविदाकर्ता फर्म का संपर्क विवरण	
1	फर्म का नाम	
2	व्यवसाय का मुख्य क्षेत्र	
3	संगठन का प्रकार, फर्म/कम्पनी/स्वामित्व/साझेदारी फर्म	
4	क्या फर्म को किसी केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/ पी0एस0यू0/सरकार/निकाय/स्वायत्त द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया है, यदि हॉ तो सम्पर्क विवरण	
5	मेल आई0डी0 के साथ उत्तराखण्ड में पंजिकितृ कार्यलय का पता बतायें	
6	अधिकारी का विवरण	
7	शहर कार्यालय शाखाओं का पता (यदि कोई हो)	
8	व्यक्ति से टेलीफोन या ई–मेल से सम्पर्क करें।	
9	फर्म के रद्द किये गये चैक, निदेशक का पता	

ध्यान दे:– सभी आवश्यक दस्तावेज प्राधिकृत हस्ताक्षरित कर्ता द्वारा स्व–सत्यापित, हस्ताक्षरित और विधिवत मुद्राकित होने चाहिए।

प्रमाणिक–हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
पुरा नाम एवं पद नाम
मोहर एवं दिनांक

निदेशक
संस्कृति निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

07/06/2024
वित्त अधिकारी
संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड

अनुलग्नक–1

निविदा कर्ता द्वारा घोषणा

(भर कर जमा करना होगा

मैं/हम (इसके बाद निविदा कर्ता के रूप में संदर्भित)
इस निविदा के तहत् कार्य करने के लिए निविदा देने के इच्छुक है और हमने कार्य की प्रकृति को पूरी तरह से समझ लिया है, और निविदा दस्तावेज में उल्लेखित सभी नियमों और शर्तो, विशिष्टताओं आदि को ध्यान से नोट कर लिया है।

(1) निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज की सभी आवश्यक्ताओं से पूरी तरह अवगत है और निविदा दस्तावेज के सभी प्राविधानों से सहमत है और निविदा के प्रदर्शन से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से जुडे सभी जोखिमों, जिम्मेदारियों और दावित्यों को स्वीकार करता है।

(2) निविदाकर्ता प्रस्तावित कार्य के समुचित निष्पादन के लिए प्रस्तावित कार्यस्थल/साईट के संबंध में सभी प्रासंगिक जानकारी से पूरी तरह अवगत है, और वास्तविक तथा अन्य मौजूदा कामकाजी प्रास्थितियों/आवश्यक साम्रगी और श्रम की उपलब्धता आदि से अच्छी तरह परिचित है।

(3) निविदाकर्ता की निविदा तैयार करने में किसी अन्य निविदाकर्ता, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड के किसी भी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति का फर्म के साथ कोई मिली भगत नही है।

(4) संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड के किसी अन्य व्यक्ति का फर्म के साथ निविदा को तैयार करने में निविदाकर्ता निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड के किसी भी कर्मचारी के किसी भी बयान या वादें से प्रभावित नही हुआ है।

(5) निविदाकर्ता नगर पालिका, जिला, राज्य और केन्द्र सरकार के सभी सामान्य और विशेष कानूनों, अधिनियमों, अध्यादेशों, नियमों और विनियमों से परिचित है, जो कार्य उसके प्रर्दशन या उसमें नियोजित कर्मियों को प्रभावित कर सकते है।

(6) निविदा कार्य को किसी भी सरकारी उपक्रम विभाग द्वारा समान प्रकार के कार्य से कभी भी वंचित नही किया गया है। (इस संबंध में स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा)।

(7) निविदा के साथ प्रस्तुत सभी जानकारी और विवरण सत्य एवं सही है।

(निविदा कर्ता के हस्ताक्षर)
मुहर

नोट– 100/रूपये का एक अलग से रेखांकित और हस्ताक्षरित नोटरीकृत, गैर, न्यायिक स्टाम्प पेपर उपरोक्त घोषणा के लिए टिप्पणियों (अनुलग्नक–1) के साथ संलग्न/प्रस्तुत करना होगा।

Chauhan
07/07/2024
वित्त अधिकारी
संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड

निदेशक
संस्कृति निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

अनुलग्नक–2
अपात्रता के अन्तर्गत ना होने का शपथ पत्र
शपथ–पत्र

मैं श्री/श्रीमती ....आयु.................का बेटा /की बेटी/की पत्नी.................
................मालिक/आयुक्त एम/एस...निवारी पर....................................पोस्ट ऑफिस
....जिला.............................राज्य... एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ और नियमानुसार बताता हूँ।

1– संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून की निविदा सूचना...दिनांक................ के अनुसार मेरी फर्म उक्त निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए इच्छुक है।

2– निविदा दस्तावेजों के नियमों और शर्तो के अनुसार मै यह घोषणा करता हूँ कि मेरी फर्म को किसी केन्द्रीय/राज्य सरकार संगठन या राज्य/केन्द्र के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा ब्लैक लिस्ट नही किया गया है।

3– निविदा दस्तावेजों के नियमों और शर्तो के अनुसार घोषणा करता हूँ कि इसके प्रकाशन की तिथि तक मेरी फर्म का किसी भी राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ कोई विवाद या कानूनी मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है।

4– मेरी फर्म के विरूद्ध किसी भी मंच पर ना तो कोई आपराधिक मामला दर्ज है, और ना ही कोई सर्तकता मामला लम्बित/विचाराधीन है।

5– मेरी फर्म के पास किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार के संगठन विभाग के लिए खराब प्रर्दशन, छोडे गये काम, समापन में अत्यधिक देरी और वाणिज्यिक विफलताओं का कोई रिकार्ड नही है।

6– यह की ऊपर बताये गये तथ्य मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है।

अभिसाक्षी
(निविदा कर्ता के हस्ताक्षर)
मोहर

<u>नोट– 100/रूपये का एक अलग से रेखांकित और हस्ताक्षरित नोटरीकृत, गैर, न्यायिक स्टाम्प पेपर उपरोक्त घोषणा के लिए टिप्पणियों (अनुलग्नक–1) के साथ संलग्न/प्रस्तुत करना होगा।</u>

07/06/2024
वित्त अधिकारी
संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड

निदेशक
संस्कृति निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड,

एम0डी0डी0ए0 कालोनी चन्दर रोड़, डालनवाला, देहरादून।

तकनीकी निविदा (Technical Bid)

अन्तिम तिथिः–......................

निविदा खोलने की तिथि .... अपरान्ह 12:00 बजे

निविदादाताओं के लिए नियम एंव शर्तों में वांछित अभिलेख/प्रमाण पत्रों का क्रमवार विवरण :–

क्र0	पूर्व योग्यता मानदंड	सहायक अनुपालन दस्तावेज
1	निविदाकर्ता के पास पिछले 03 वित्तीय वर्षों (2021–22, 2022–23, 2023–24) में संतोषजनक सुरक्षा सेवायें प्रदान करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।	सम्बन्धित पीएसयू/सरकारी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त संतोषजनक अनुभव प्रमाण पत्र।
2	फर्म को उत्तराखण्ड स्वामित्व में पंजीकृत होना आवश्यक है।	पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।
3	निविदा में उल्लिखित कार्यों के लिए निविदाकर्ता को उत्तराखण्ड में एम0एस0एम0ई0 उद्योग आधार में पंजीकृत होना चाहिए।	उत्तराखण्ड के एम0एस0एम0ई0 उघोग आधार की प्रति।
4	निविदाकर्ता फर्म को उत्तराखण्ड में एम0एस0एम0ई0 उद्योग आधार में पंजीकृत होने की दशा में ई0एम0डी0 राशि में छूट रहेगी।	उत्तराखण्ड के एम0एस0एम0ई0 उघोग आधार की प्रति।
5	फर्म के पास प्रमाणित ISO 9001: 2015 अनुपालन और गुणवता प्रबन्धन प्रणाली होनी चाहिए।	पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।
6	फर्म को उत्तराखण्ड में जी0एस0टी के तहत् पंजीकृत होना आवश्यक है।	जी0एस0टी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।
7	विगत 03 वित्तीय वर्षो (2021–22, 2022–23, 2023–24) मे से किसी एक वित्तीय वर्ष में फर्म का औसत टर्न ओवर कम से कम रू0 30.00 लाख होना आवश्यक है।	चाटर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति।
8	निविदाकर्ता फर्म को ई0एस0आई0सी, ई0पी0एफ0 में पंजीकृत होना आवश्यक है।	पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।
9	निविदाकर्ता फर्म को आयकर विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है।	पैन कार्ड की प्रति।
10	फर्म को किसी भी केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड नही होने के साथ ही पी0एस0यू0/सरकारी निकाय/निजी इकाई के साथ कोई मिली भगत नही होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।	बोली में उल्लिखित अनुलग्नक–1 और 2 के अनुसार अलग–अलग नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11	निविदाकर्ता फर्म के पास पिछले 02 वित्तीय वर्षो (2022–23, 2023–24) मे से किसी एक में न्यूनतम 50 कर्मचारियों के साथ अपना इन हाउस (कार्यालय) होना आवश्यक है।	ई0एस0आई0सी, पी0एफ0 विवरण के साथ कार्य विवरण सहित कर्मचारियों की सूची।
12	बैंक खाते का पूरा विवरण जैसे–खाता धारक का नाम, ,खाता संख्या, बैक व शाखा का नाम, ऑनलाईन लेन–देन के लिए आई0एफ0एस0सी0 कोड विवरण।	बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति तथा कैंसिल चैक की प्रति।
13	निविदाकर्ता फर्म का सम्पर्क विवरण।	प्रारूप–1 के अनुसार।
14	निविदाकर्ता फर्म का कार्यालय देहरादून में होना आवश्यक है।	संबंधित कार्यालय के बिजली, पानी अथवा दूरभाष बिल की सत्यापित छायाप्रति।

धरोहर धनराशि (Earnest Money)

धरोहर धनराशि ₹ 87,000/– (₹ सत्तासी हजार मात्र) जो निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम से बन्धक होगी।

एफ0डी0आर0सं0/डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या/..दिनांक ....

निर्गत शाखा का नाम..

हस्ताक्षर

निविदा कर्ता

नाम ....

पता ....

(सील सहित)

निदेशक
संस्कृति निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

Chauhan
07/06/2024
वित्त अधिकारी
संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड

संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड,
एम0डी0डी0ए0 कालोनी चन्दर रोड़,
डालनवाला, देहरादून।

<u>वित्तीय निविदा (Financial Bid)</u>

<u>कार्य का विवरण–</u> हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, गढ़ीकैन्ट, देहरादून परिसर हेतु सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी का चयन।

1– फर्म का नाम – ....

2– फर्म के स्वामी/अंशधारक का नाम – ....

3– फर्म का स्थानीय पता – ....
(दूरभाष सहित) ....
....

4– फर्म का स्थायी पता – ....
(दूरभाष सहित) ....
....

5– निविदा का विवरण:–

1. एक (01) सुरक्षा कर्मी/श्रमिक का पारिश्रमिक श्रम विभाग के मानको के अनुसार प्रतिमाह ₹ ....
2. एक (01) सुपरवाईजर का पारिश्रमिक श्रम विभाग के मानको के अनुसार प्रतिमाह ₹ ....
4. जी.एस.टी. की दर (नियमानुसार) ₹ ....

हस्ताक्षर

टेण्डरदाता/निविदा कर्ता

नाम ....

पता ....

(सील सहित)

वित्त अधिकारी
संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड

निदेशक
संस्कृति निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

सामान्य नियम एवं शर्तें (तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों सहित)

1. निविदाकर्ता फर्म के पास विगत 03 वित्तीय वर्षों, 2021–22, 2022–23, 2023–24 में सतोषजनक ढंग से सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने का कम से कम 02 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है।। निविदाकर्ता को संबंधित पीएसयू/सरकारी संगठनों/गैर सरकारी संगठनो से प्राप्त संतोषजनक सेवा संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत होगा।
2. निविदाकर्ता फर्म/कंपनी/साझेदारी/स्वामित्व आदि को उत्तराखण्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है।
3. निविदाकर्ता फर्म को कार्यों के लिए उत्तराखण्ड में एमएसएमई उद्योग विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है।
4. निविदाकर्ता फर्म के पास प्रमाणन आईएसओः 9001:2015 अनुपालन और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली होनी आवश्यक है।
5. निविदाकर्ता फर्म को उत्तराखण्ड में जी0एस0टी0 के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।
6. फर्म का विगत 03 वित्तीय वर्षों, 2021–22, 2022–23, 2023–24 में किसी एक वर्ष में औसतन टर्न ओवर कम से कम रू0 30.00 लाख होना चाहिए। तत्संबंधी सी0ए0 का प्रमाण पत्र सुरक्षा/मानव संसाधन सेवा में वर्षवार टर्न ओवर दर्शाते हुए प्रस्तुत करना होगा।
7. निविदाकर्ता फर्म को ईएसआईसी, पीएफ में पंजीकरण होना आवश्यक है।
8. निविदाकर्ता फर्म का आयकर विभाग में पंजीकरण होना आवश्यक है।
9. निविदाकर्ता फर्म को किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/निजी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किये जाने का शपथ पत्र तथा राज्य सरकार/पीएसयू/नगर निकाय/निजी संस्था के साथ कोई मिली भगत नहीं होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. निविदाकर्ता फर्म को विगत 03 वित्तीय वर्षों 2021–22, 2022–23, 2023–2024 में से किसी एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 50 कर्मचारियों के साथ अपना इन–हाउस (कार्यालय) सेट अप देहरादून में होना आवश्यक है।
11. निविदाकर्ता फर्म को ऑनलाईन लेन देन के लिए बैंक खाते का पूरा विवरण जैसे खाताधारक का नाम, खाता संख्या, बैंक और शाखा का नाम, आईएफएससी कोड आदि प्रस्तुत करना होगा।
12. विभाग को कार्य अवधि के दौरान आवश्यकतानुसार संशोधन करने का पूर्ण अधिकार होगा।
13. सूक्ष्म, लघु मंत्रालय द्वारा जारी सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश संख्या 1542, दिनांक 20.08.2019 में परिभाषित के अनुसार एमएसएमई को खरीद में प्राथमिकता दी जाएगी और मध्यम उद्यम और इसके बाद के आदेश उद्योग उत्तराखण्ड द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत लागू होंगे। तकनीकी निविदा में लागू होने वाले समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होंगे।
14. <u>कार्मिक–</u>

क. निविदाकर्ता फर्म ड्यूटी घण्टों के दौरान अपेक्षित सुरक्षा कर्मचारियों को साफ सुथरी वर्दी और सहायक उपकरण प्रदान करेगा। निविदाकर्ता फर्म यह भी सुनिश्चित करेगी कि सुरक्षा कर्मी को मौसम के अनुरूप वर्दी दी जाए।

ख. सफल निविदाकर्ता फर्म अनुबंध के निष्पादन के लिए आवश्यक सेवाओं के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए विभाग से प्राप्त दस्तावेजों, डेटा और अन्य जानकारी का उपयोग नहीं करेगा।

ग. निविदाकर्ता फर्म को विभाग की जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार काम करने के लिए तैयार रहना होगा। निविदाकर्ता फर्म को सुरक्षा संबंधी क्षेत्र में कार्य करने का कुशल अनुभव होना आवश्यक है।

घ. सुरक्षा कर्मियों का व्यवहार सदभावपूर्ण होना चाहिए। निविदाकर्ता फर्म को आवश्यकताओं की अनुसूची के अनुसार सेवाओं के उचित प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए स्थलीय निरीक्षण करना होगा।

ङ. निविदाकर्ता फर्म अपेक्षित संविदात्मक कार्यों के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन/निर्वहन के लिए नियोजित और तैनात किए गए कर्मियों को सभी आवश्यक उपकरण प्रदान करना होगा और उन्हे हर समय अच्छी तरह से सुसज्जित रखना होगा।

निदेशक
संस्कृति निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

07/06/2024
वित्त अधिकारी
संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड

च. तैनात सुरक्षा कर्मी निविदाकर्ता फर्म के ही कर्मचारी होंगे। समस्त वैधानिक देनदारियों तथा अन्य खर्चों का भुगतान निविदाकर्ता फर्म द्वारा ही वहन किया जाएगा।

छ. परिवहन या कार्य निष्पादन के दौरान किसी भी श्रमिक या बाहरी व्यक्ति के साथ होने वाली किसी भी घातक या गैर घातक दुर्घटना के लिए संस्कृति विभाग, उत्तराखड किसी भी स्थिति में जिम्मेदार नहीं होगा। उपचार या मुआवजे सहित सभी खर्चे पूर्ण रूप से फर्म द्वारा ही वहन किए जाएंगे। निविदाकर्ता फर्म सुरक्षा कर्मियों के पीएफ, ग्रेच्युटी, ईसआईसी और अन्य कानूनी दायित्वों सहित श्रमिकों के समस्त दावों के भुगतान/कटौती हेतु स्वयं उत्तरदायी होगी।

15. अनुबंध की अवधि सेवाएं प्रदान करने की तिथि से 01 वर्ष तक की अवधि के लिए मान्य होंगी। इस अवधि को दोनो पक्षों की आपसी सहमति/कार्य कुशलता के दृष्टिगत आगे बढ़ाया जा सकता है।

16. निविदाकर्ता फर्म को निविदा जमा करते समय या उसके बाद के चरण में विभाग को दिए गए विवरण के प्रति बाध्य होना होगा। यदि प्रस्तुत किए गए ऐसे किसी भी दस्तावेज को किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है तो इसे अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा, जिससे अनुबंध की समाप्ति के अलावा कानूनी कारवाई भी की जा सकती है।

17. निदेशक, संस्कृति विभाग के पास बिना कोई कारण बताए निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा। निदेशक का निर्णय अंतिम और निविदाकर्ता पर बाध्यकारी होगा। निदेशक, संस्कृति सर्वन्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नही है और बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा या उसके किसी हिस्से को अस्वीकार कर सकता है।

18. निविदाकर्ता फर्म को भारत सरकार के सभी कानूनों और नियमों का पालन करना होगा। निविदाकर्ता फर्म सुरक्षा सेवाओं से संबंधित सभी केन्द्रीय, स्थानीय और राज्य नियमों और अधिनियमों का पालन करेगा और विभाग को ऐसे मामलों पर सभी अनुपालनों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार होगा।

19. निविदाकर्ता फर्म को साझेदारी के संविधान या कानूनी स्थिति में पंजीकरण के स्थान और व्यवसाय के मुख्य स्थान को परिभाषित करने वाले दस्तावेजों की प्रतियां जमा करनी होंगी।

20. निविदाकर्ता फर्म को विगत 03 वित्तीय वर्षों (2021–22, 2022–23, 2023–24) की वित्तीय स्थिति से संबंधित लेखा परीक्षकों की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

21. निविदा में निर्दिष्ट धरोहर राशि को निदेशक, संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पक्ष में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से देहरादून शाखा में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ0डीआर के रूप में जमा करना होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट प्राप्त न होने की दशा में निविदा स्वीकार नहीं होगी।

22. निविदाकर्ता फर्म की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी और साझेदारी लेख, यदि कोई हो, तो मूल निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

23. निविदा आमंत्रित सूचना, निविदा दस्तावेज, निर्धारित तकनीकी निविदा, वित्तीय निविदा के नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

24. किसी भी विवाद के लिए न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।

निदेशक
संस्कृति निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

07/06/2024
वित्त अधिकारी
संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड

निविदा जमा करने का तरीका–

निविदाकर्ता फर्म को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम GeM पोर्टल में निविदा जमा करनी होगी। निविदा फर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि निविदा सूचना में बतायी गई तिथि और समय के अनुसार निर्दिष्ट पोर्टल पर प्राप्त हो गयी हो। निविदा में उल्लेखित EMD और अनुलग्नकों को छोड कर भौतिक रूप में निविदा स्वीकार नहीं होंगी। EMD और अनुलग्नक निविदा खुलने के दिन से एक दिन पहले सांय 5:00 बजे से पहले निदेशक संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड के कार्यालय में प्रस्तुत की जानी आवश्यक होंगी।

मैने/हमनें बोली के उपरोक्त समस्त नियमों/शर्तों को ध्यानपूर्वक पढा और समझा है तथा उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

मोहर सहित निविदा कर्ता के हस्ताक्षर

07/06/2024
वित्त अधिकारी
संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड

निदेशक
संस्कृति निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

कार्यालय निदेशक, संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड
एम0डी0डी0ए0 कालोनी, चन्दर रोड, डालनवाला, देहरादून
सुरक्षा सेवाओं के लिए

अतिरिक्त नियम एवं शर्तें

GeM अनुबन्ध और सेवा विस्तार समझौते में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अलावा बोली लगाने वाले को नीचे उल्लिखित नियमों और शर्तों का भी पालन करना होगा–

(क) आरएफपी का उद्देश्य

सुरक्षा सेवाओं के लिए आरएफपी (प्रस्ताव के लिए अनुरोध) का उद्देश्य हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र, गढीकैन्ट, देहरादून परिसर के लिए एक व्यापक सुरक्षा सेवा प्रदाता की मांग करना और उसे अंतिम रूप देना है। प्राथमिकत लक्ष्य एक योग्य और अनुभवी सुरक्षा सेवा प्रदाता ढूंढना है, जो हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र के भवन एवं परिसर की विशिष्ट सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

(ख) कार्य का दायरा–

कार्य के दायरे में निम्नलिखित शामिल हैं

1.सुरक्षा सेवाएं–

निविदाकर्ता फर्म को निर्दिष्ट क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मियों और संसाधनों को प्रदान करना होगा, इसमें सुरक्षा गार्डों की तैनाती, पहुंच नियंत्रण का प्रबंधन, गश्त का संचालन और आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं को लागू करना शामिल है।

2. खतरे का आकलन और जोखिम विश्लेषण–

निविदाकर्ता फर्म को क्षेत्र में संभावित सुरक्षा खतरों और कमजोरियों का आकलन करना होगा और जोखिमों को कम करने के लिए सिफारिशें प्रदान करनी होगी। कार्य स्थल का व्यापक अध्ययन करना, खतरे की खुफिया जानकारी का विश्लेषण करना और सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रक्रियाएं विकसित करना शामिल होगा।

3. कार्मिक प्रशिक्षण–

निविदाकर्ता फर्म को प्रशिक्षित एवं प्रमाणित सुरक्षा कर्मियों को तैनात करते हुए तत्संबंधी प्रमाण पत्र विभाग में प्रस्तुत करना होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि फर्म के पास अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से सम्पादित करने के लिए पर्याप्त कौशल और ज्ञान है। सुरक्षा प्रक्रियाओं, आपातकालीन प्रतिक्रिया, संघर्ष प्रबंधन और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण शामिल होगा।

4. सुरक्षा उपकरण और रख रखाव–

निविदाकर्ता फर्म को सुरक्षा उपकरणों की आपूर्ति और उनके रख–रखाव का दायित्व उनका स्वयं का होगा।

5. घटना प्रतिक्रिया और रिपोर्टिंग–

सुरक्षा घटनाओं की स्थिति में निविदाकर्ता फर्म तेजी से और उचित रूप से प्रतिक्रिया देनी आवश्यक होगी। इसके अतिरिक्त जांच करना, घटनाओं का दस्तावेजीकरण करना, संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट करना और भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए उपचारात्मक उपायों को लागू करने हेतु सुझाव देना होगा।

6. कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन–

निविदाकर्ता फर्म को सुरक्षा से संबंधित सभी लागू कानूनों, विनियमों और कोडों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। इसमें गोपनीयता कानूनों का पालन करना, संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना और सरकार द्वारा निर्देशित सुरक्षा मानकों का अनुपालन करना शामिल है।

07/06/2024
वित्त अधिकारी
संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड

निदेशक
संस्कृति निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

7. अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग–

निविदाकर्ता फर्म सुरक्षा कार्य हेतु अन्य सरकारी विभागों या एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगी। इसमें सुरक्षा उपायों का समन्वय करना, जानकारी साझा करना और आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं पर सहयोग करना होगा।

8. नियमित रिपोर्टिंग और दस्तावेजीकरण–

निविदाकर्ता फर्म को सुरक्षा संचालन की स्थिति, घटनालॉग, संसाधन उपयोग और किसी भी अन्य प्रासंगिक जानकारी का विवरण देते हुए विभाग को समय–समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

(ग) पात्रता मानदण्ड–

निविदाकर्ता फर्म को सुरक्षा सेवाओं के लिए पात्रता मानदण्ड को पूरा करना आवश्यक होगा।

1. कानूनी इकाई–

निविदाकर्ता फर्म को एक पंजीकृत कानूनी इकाई होना चाहिए जो विभाग के साथ अनुबंध करने में सक्षम हो।

2. लाइसेंस और प्रमाणन–

निविदाकर्ता फर्म को सरकारी विभागों और पेशेवर अधिकारियों द्वारा जारी आवश्यक लाइसेंस, परमिट और प्रासंगिक सुरक्षा उद्योगों से प्रदत्त प्रमाणन की प्रति प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।

3. अनुभव और रिकॉर्ड–

निविदाकर्ता फर्म को शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय विभागों में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने का कुशल अनुभव होना आवश्यक है। विगत वर्षों में प्रदान की गई सुरक्षा सेवाओं से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. वित्तीय स्थिरता–

सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने हेतु अनुबंध की शर्तों को पूर्ण करने के उद्देश्य से वित्तीय स्थिरता और क्षमता को दर्शाने हेतु विगत 03 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।

5. कानूनों और विनियमों का अनुपालन–

निविदाकर्ता फर्म सुरक्षा सेवा प्रदाता को सुरक्षा उद्योग से संबंधित सभी लागू कानूनों, विनियमों ओर मानकों के साथ ही गोपनीयता, श्रम कानूनों, विनियमों, मानकों तथा स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा।

6. कार्मिक योग्यताएं–

निविदाकर्ता फर्म द्वारा नियोजित कार्मिकों को विशिष्ट आवश्यकताओं यथा–सुरक्षा संचालन, आपातकालीन प्रतिक्रिया, उचित प्रशिक्षण और विशेष सुरक्षा कौशल संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. बीमा कवरेज–

निविदाकर्ता फर्म को कार्य परिचालन के लिए पर्याप्त बीमा कवरेज बनाए रखना होगा।

8. गुणवत्ता आश्वासन–

निविदाकर्ता फर्म को उच्च गुणवत्ता वाली सुरक्षा सेवाओं का परिचालन बनाए रखना आवश्यक होगा।

9. निविदा आवश्यकताओं का अनुपालन–

निविदाकर्ता फर्म को उल्लिखित समस्त निविदा शर्तों को पूर्ण करना आवश्यक होगा।

(घ) डेटा स्वामित्व–

निविदाकर्ता सुरक्षा फर्म द्वारा एकत्रित, संसाधित या संग्रहीत डेटा, निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड की लिखित अनुमति के बिना किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाएगा।

(ड) असाइनमेंट की अवधि–

निविदाकर्ता फर्म सुरक्षा सेवा प्रदान करने का प्रारम्भिक असाइनमेंट यानी अनुबंध 01 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के लिए मान्य होगा और पारस्परिक रूप से सहमति शर्तों पर विभाग द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त

वित्त अधिकारी
संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड

निदेशक
संस्कृति निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

निविदाकर्ता फर्म द्वारा संतोषजनक सेवाएं प्रदान न किये जाने की दशा में 03 महीने का नोटिस जारी करते हुए अनुबंध समाप्त करने का अधिकार विभाग में निहित होगा।

(च) बोली लगाने का दायित्व–

क. बोली लगाने वाले को पिछले महीने के संविदात्मक कार्यों के संबंध में विभाग को मासिक बिल जमा करना होगा, जिसका भुगतान प्रचलित दरों पर टीडीएस और अन्य कटौतियों के अधीन होगा। सुसंगत मानक मद में बजट की उपलब्धता के अनुसार संस्कृति विभाग द्वारा निविदाकर्ता फर्म को मासिक बिल जमा करने पर बिल का भुगतान किया जाएगा। विभाग द्वारा मानदण्डो के अनुसार लागू अन्य कटौतियॉ की जा सकती हैं।

(छ) गोपनीय जानकारी–

क. सफल निविदाकर्ता फर्म गोपनीयता बनाए रखेगा और निदेशक संस्कृति विभाग की लिखित सहमति के बिना, किसी भी दस्तावेज, डेटा या अन्य जानकारी को किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेगा। यदि उसका अनुपालन नहीं किया जाता है, तो अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

ख. सफल निविदाकर्ता फर्म अनुबंध निष्पादन के लिए आवश्यक सेवाओं के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए विभाग से प्राप्त दस्तावेजों, डेटा और अन्य जानकारी का उपयोग नहीं करेगा।

07/06/2024
वित्त अधिकारी
संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड

निदेशक
संस्कृति निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून